गुडिया के गुनाहगार

संजय तिवारी विस्फोट डांट काम से

आग अभी धधक रही है और शायद इतनी जल्दी बुझेगी भी नही। ये तो पहले ही रेप के खिलाफ जीरो टालरेन्स मांगनेवाले लोग थे। अब तो अनघा छटक गया है। लेकिन दुख और यौन पीडा की इस घडी मे भी आंदोलनकारी ऐसे सदमे मे नहीं है कि सन्नाटे मे डूब जांए। वे पूरी तरह से होश मे है और आक्रामक है। एक दुर्दात और दुखद घटना की आड मे वे क्या कुछ कर गुजरना चाहते है, इसका अंदाज लगाना अभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मंसूबे उनके भी बहुत नेक नजर नही आते है, जो बच्ची से किये गये जघन्य कुकर्म की आड मे राजनीतिक सौदेबाजी करने पर उतारू हो गये है। जाहिर है इस सौदेबाजी मे आम आदमी की पार्टी और उस पार्टी का संचालक समूह टीवी मीडिया भी दिल्ली मे पूरा दम लगाकर दौड रहा है।

सोमवार को एम्स के स्वास्थ्य महानिदेशक डा0 डी के शर्मा जब मीडिया के सामने यह बताने के लिये आये कि बच्ची की सेहत अब तेजी से सुधर रही है तब वहां मौजुद किसी महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या अस्पताल बच्ची को कोई साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट (मनोवैज्ञानिक उपचार)देने के बारे मे भी विचार कर रहा है। डा0 शर्मा ने जो जबाब दिया वह बहुत लाजवाव था। उन्होने कहा उस बच्ची को तो पता भी है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे मे उसको मनोवैज्ञानिक उपचार देने का कोई तुक नही है। जब कभी कोई ऐसी घटना घट जाए जहां बुद्धि ही काम करना बंद कर दे तब सदमा लगता है। सन्नाटा छा जाता है। और सन्न रह जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नही बचता है। लेकिन जो सन्नाटे की ऐसी घडी मे भी नारे लगाते है बुद्धि से सवाल विकसित करते है और बौद्धिक जबाब तलाशते है, क्या क्या हुआ इसका विश्लेषण करते है, निश्चित रूप मे मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत ऐसे लोगो के लिये होती है।

हमलोगो को सचमुच नही मालूम कि अमेरिका और यूरोप के देशो मे ऐसी घटनांए घटने के बाद क्या कुछ होता है। घटनाएं तो वहां भी यहां से ज्यादा होती है । कहते है चाइल्ड सेक्स एब्यूस अमेरिका की सबसे बडी समस्याओ मे से एक है। 2011 मे अमेरिका मे 80 हजार से अधिक चाइल्ड सेक्स अब्यूज के मामले दर्ज किये गये थे । पता नही अमेरिका प्रेरित इन आकाओ के आका देश अमेरिका मे जब कोंई ऐसी घटना होती है तो वहां का मीडिया या जन समूह क्या प्रतिक्रिया देता है? या कि वे अब ऐसी घटनाओ के इतने अभ्यस्त हो चुके है कि उनके लिये बच्चो के साथ किया गया यौन अपराध महज एक अपराध ही समझ मे आता है, और उन्हे मालूम होता है कि ऐसे अपराधो की कानून मे बहुत सख्त सजा मुकर्रर है। सजा के लिहाज से अब यहां भी कोई कमजोर सजा नही है। और कानून तो जुम्मा जुम्मा दो चार दिन पहले बने है। ऐसे यौन अपराधो के लिये हमारा समाज बहुत सख्त सजा देता है। इतनी सख्त सजा कि कानून का ककहरा पढनेवाले कभी अंदाज भी नही लगा सकते । लेकिन उनका तरीका सामाजिक होता है। यहां यह बात भी दीगर है कि ऐसी सजाओ को हमारा यही आधुनिक समाज और आधुनिकतम मीडिया पुरातनपंथी दकियानूसी बर्बर तालिबानी जैसे शब्दो मे महिमा मंडित करके खारिज कर देता है। लेकिन खुद जब खडा होता है तो वही होने की मांग करने लगता है जिसे तालिबानी और बर्बर कहकर खारिज कर चुका होता है।

पुरे दावे के साथ तो नही कह सकते कि वह महिला कितना सच और कितना झूठ बोल रही थी। लेकिन चाय की रेहडी लगानेवाली वह महिला भी उसी खजुरी इलाके मे रहती है जिस इलाके मे यह दुर्दात कुकर्म सामने आया है। उसका कहना है कि उसकी भी दों बेटियां है । एक नौ साल की , दूसरी तेरह साल की। क्योकि पेट भरने के लिये उसे और उसके पति दोनो को दिनभर काम करना होता है इसलिये उसने अपनी बेटीयों को अपनी मां के पास रखा छोडा है। केवल संसद मे स्मृति इरानी ही चिंतित नही है। वह चायवाली भी चिंतित है। लेकिन इस चिंता का हल उसके नजरिये से वह नही है जो किसी स्मूति इरानी या फिर किसी सुषमा स्वराज का है। उसका हल बहुत सीधा है जो ऐसा करे उसे जनता के हवाले कर दो। तत्काल न्याय हो जाएगा। तत्काल न्याय की उसकी जो समझ है हो सकता है वह हमारी समझ मे बर्बरता होती हो लेकिन उसने एक उदाहरण भी दियाा कि कुछ ऐसी ही एक घटना पिछले साल बवाना मे सामने आई थी। उसका कहना था कि उस वक्त पुलिस ने ही लोगो को छूट दे दी थी कि तुम लोग जो कर सकते हो कर लो । पुलिस रास्ते मे नही आयेगी। जनता को जो करना था जनता ने कर लिया और तत्काल न्याय हो गया था।

भारतीय महिलाओं और लडकियों पर किये जाने वाले अत्याचार को लेकर भारत भर को गुनहगार ठहराने का काम अकेले संयुक्त राष्ट्र का कोई मानवाधिकारवादी विभाग ही नही कर रहा है। 16 दिसम्बर की घटना के वक्त भी और इस बार भी अमेरिका, अमेरिका प्रायोजित बुद्धिजीवी और संस्थाओ की बढचढकर भागीदारी भी चौकानेवाली है। किसी अमेरिकी को किसी बर्बर देश की औरतो की इज्जत आबरू मे भला इतनी रूचि क्यो कर होने लगी ? वह भी तब जब खुद उनके यहां सब कुछ खोल देने के बाद भी बडे पैमाने पर मानव तस्करी और सेक्स इंडस्ट्री फल फूल रही है। रूचि का कारण है और बहुत गहरा कारण है। चायवाले, फुटपाथवाले, रेवडी वाले, खोमेचेवाले, मजदूर वैसे भी हमारी गणना मे कोई इंसानी वजूद नही रखते है इसलिये इस चायवाली महिला को बर्बर समाज का प्रतिनिधि मानकर इसकी बात को हम यही दफन कर देते है। उस सभ्य समाज की ओर ताकते जो शहरी बियाबान मे आकर समाहित हो गया है और अब सामाजिक होने की कोशिश कर रहा है। उसकी सामाजिकता के रास्ते मे सबसे बडा संकट कुछ और नही बल्कि शारीरिक संबंध और संबेंधो की व्याख्या ही है। संबंधो की व्याख्या और शारीरिक संबंध बनाने की सीमारेखा उसके लिये ऐसी दो गंभीर समस्या है जिससे निजात मिलता उसे दिखाई नही दे रहा है। बलात्कार इसी समस्या के मूल मे है। बडो की बात फिर कभी । जरा बच्चो की दशा देखिये । बच्चियो के साथ होने वाले ऐसे कुकृत्य और उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कवायद को हम लॉ एण्ड आर्डर की समस्या बताते जा रहे है। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिये जो बच्चो के यौन अपराधो से जुडा है। 2001 से 2011 के बीच बच्चो द्वारा किये गये यौन अपराधो की संख्या मे 336 फीसदी की बढोतरी हुई है। ये वो बच्चे है जिन्हे हमारा कानून 18 साल से कम उम्र का होने के कारण बच्चा मानता है। यानि 18 साल से कम उम्र के ऐसे नौजवान जिन्हे यौन हिंसा के आरोप मे धरा पकडा गया है उनका मामला सीधे अदालत मे चलने के बजाय बाल सुधार गृह मे चलाया जाता है। मामले इतनी तेजी से बढ रहे है कि देश मे इस वक्त 733 बाल सुधार गृह चलाये जा रहे है। इन सभी बाल सुधार गृहो की स्थापना भारत सरकार के एक अध्यादेश के तहत की गई है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट की मानवाधिकारवादी संस्था, फंडखोर मानवाधिकारवादी संस्थाओ की मदद से यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे बाल सुधार गृहो की संख्या और तेजी से बढाई जाये।

दुनियां भर मे कूटनीति समय समय पर बदलती रहती है और पिछले एक दशक मे अमेरिका युद्ध के साथ साथ एक खास किस्म की सामाजिक कूटनीति पर भी काम करता दिखाई दे रहा है। वह समाजिक कूटनीति सीधे तौर पर समाज और परिवार को छिन्न भिन्न करती है। पूरी दुनियां का तो पता नही लेकिन अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशो मे अमेरिका ने एक नये तरह का हथियार इस्तेमाल किया है। यह हथियार आंदोलन और जन उभार के जरिये प्रशासनिक बदलाओं और कानूनी प्रावधानों से जुडता है। मसलन पाकिस्तान मे डेमोक्रेसी अमेरिका का नया हथियार है तो इस्लाम मे उदारीकरण के आंदोलन को आर्थिक मदद अमेरिकी प्रतिष्ठानो के प्रिय कामो मे शामिल हो गया है। भारत मे अन्ना आंदोलन से जो आंधी

उठी थी उसके मूल मे भी अमेरिकी फंडिग एजेंसियों का पैसा और मानिटरिंग थी। इसके बाद के आंदोलनो मे अमेरिकी संस्थाओं से जुडे प्रतिनिधि या फिर उनके बृद्धिजीवियों का सुक्षाव बिना मांगे जबर्दस्ती मिलता है। मसलन 16 दिसम्बर की घटना के बाद बनी जे एस वर्मा कमेटी ने अपनी रिर्पोट पेश करते समय जिन प्रमुख लोगो को धन्यवाद दिया उसमे अमेरिकी विश्वविद्यालयो के प्रोफेसर भी शामिल थे जिन्होने जे एस वर्मा को यह सुझाव दिया था कि भारत मे एण्टी रेप लो का क्या स्वरूप होना चाहिये।

अमेरिकी सक्रियता के अलावा वामपंथी छात्र संगठन और महिला संगठन भी पिछले कुछ महिनो से अति सक्रिय हो चले है। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, आल इंडिया प्रोग्रेसिव वोमेन्स एसोसिएशन जैसी संस्थाए वैसे तो कही भी अमेरिकी गंध सूंघ लेने मे माहिर होते है, लेकिन यहां एफ एफ आई सी पी आई और अमेरिका वित पोषित संस्थाए कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रहे है इतिहास मे ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं दूसरी जगह मिले जब वामपंथियो द्वारा चलाये गये आंदोलनो का फायदा अमेरिकी प्रतिष्ठान कायदा स्थापित करने के लिये कर लेते हो। पिछले चार महीनो मे महिला सुरक्षा के नाम पर जो कुछ किया गया है उसकी आश्चर्यजनक किन्तु सच है की तर्ज पर सच्चाई यही है।

इस बार भी जिसे हम गुडियां के लिये न्याय के आंदोलन मान रहे है उसके मूल मे अमेरिकी मौजूदगी चौकानेवाली है। अकेले अरविन्द केजरीवाल पर शक करने की जरूरत नही है। सोमवार को जारी पीटीआई की एक खबर देखिये जो बता रही है कि पूरी दिल्ली उबल रही है। हालांकि उबलनेवाली बात सोमवार की सच्चाई नहीं है फिर भी खबर यही है। पीटीआई की इस खबर मे सीएन एन आई बी एन ने अपनी तरफ से इन्पुट जोडकर जो पैकेंज तैयार किया है उसमे एक वक्तब्य रिहान्ना के हवाले से दिया गया है जो अमेरिका स्थित किसी महिलावादी संगठन की सदस्य है। रिहान्हा कहती है कि हमे नही लगता है कि भारतीय समाज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधो को गंभीरता से ले रहा है। कुछ वैसी ही बात वे वामपंथी भी बोल रहे है जिनका वजूद ही अमेरिका विरोध पर टिका हुआ है।

इसी वाम अमेरिका की बेजोड जुगलबंदी मे बहुत ताकतवर तरीके से महिलाओं के प्रति यौन हिंसा अपराध और महिला की सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील विषयों को कानून व्यवस्था की समस्या घोषित कर दिया गया है। कोई कमिश्नर अगर हिम्मत करके यह कह भी देता है कि यह सिर्फ लां एण्ड आर्डर की समस्या नही है तो विरोधी बिना कुछ सोचे मुंह नोच रहे है। उनका ऐसा करना गलत भी नही है । दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो कह रहे है वह सीधे उन योजनाओं को चुनौती है जो नही चाहते है कि भारत मे परिवार या समाज नाम की संस्था कायम रहे। उपरी तौर पर इसकी थाह लेना मुश्किल है लेकिन गहराई मे जाएगे तो पायेंगे कि महिला पुरूष संबंधो को लेकर कानून जितने सख्त होगे परिवार और समाज उतनी तेजी से टूटता और बिखरता जाएगा। जो लोग भारत मे महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा मे मोटा धन निवेश कर रहे है उन्हे इसमे कोई शक नही है कि आखिरकार वे मदद किसको और क्यो कर रहे है। एक विखंडित परिवार कभी सक्षम समाज नही बनने देता और कोई भी अक्षम समाज बाजार के लिये सबसे मुफीद सौदा होता है। दुर्भाग्य से दामिनी और गुडिया जैसे जघन्य मामले ऐसे अमेरिकीवादियों को पूरा मौका दे देते है कि वे भारतीय परिवार और समाज व्यवस्था पर पूरे जोर से प्रहार कर सके और चालाक अमेरिकी और वामपंथी ऐसा कोई भी मौका हाथ से भला क्यो निकल जाने देंगें।

उस पर भी टेलीविजन मीडिया के उभार ने सोने पर सोहागा कर दिया है। क्या आज कोई कल्पना कर सकता है कि ठीक साल भर पहले यही टेलीविजन मीडियां भ्रष्टाचार को भगाने के लिये गला फाड फाड कर फनफना रहा था। भ्रष्टाचार गया कि नही यह तो मालूम नही लेकिन साल भर भी नही बीता कि भ्रष्टाचार मीडियां के एजेंडे से ही गायब हो गया। साल भर पहले तक जो अन्ना हजारे और रामदेव टेलिविजन मीडिया के लिये संजीवनी बने हुए थे आज वही अन्ना हजारे और वही बाबा रामदेव कमोवेश उसी मात्रा मे सक्रिय है लेकिन टीवी मीडिया उनकी ओर मुह उठाकर भी नही देख रहा है। ऐसा शायद इसलिये कि अब बाबा रामदेव या अन्ना हजारे टीवी मीडिया के लिये वह दुधारू गाय नही रह गये । इसलिये उसने इनको चित्त से उतार दिया। दिसम्बर 2012 मे दिल्ली मे दिल्ली की चलती बस मे हुई बर्बर घटना ने टीवी मीडिया को एक बार फिर वह मौका दे दिय जो मौका वह बार बार खोजता रहता है। अभी अर्भी ट्राई ने जो अध्ययन सामने किया है उसमे बताया गया है कि भारत मे टेलीविजन मीडिया सबसे ताकतवर बन कर उभरा है। आज भारत के कुल मीडिया उघोग मे 42 फीसदी हिस्सेदारी टेलीविजन मीडिया की हो चली है। देश के 60 फीसदी घरो तक टीवी की पंहुच हो चली है । रेवेन्यु के लिहाज से देखे तो टेलीविजन बाजार 2011 मे ं 34000 करोड को पार कर चुका है। जाहिर सालाना 15 प्रतिशत से अधिक बढत पर चढे टेलीविजन मीडिया के लिये यहसंभव नही है कि वह जघन्य अपराधो से कोईसमझौता कर सके। फिर वह चाहे आतंकवादी हमला हो बलात्कार हो कि करप्शन । वह मुद्दो और मुनाफे से समझौता नही सर सकता। ऐसे मे वे आंदोलन समूह अर्ध राजनीतिक दल दवाव समूह टेलीविजन के लिये संजीवनी की तरह काम करने लगते है जो उस मुद्दे की बात करते है जिससे टेलीविजन इन्ड्रस्टी के बाजार को बढाने मे मदद मिलती हो।

इस सभी परिस्थितियों के साथ मिल जाने के बाद बहुत कायदे से स्तब्ध कर देनेवाली यौनपीडा मे भी यौन क्रीडा का खेल शुरू कर दिया जाता है । मुद्दो के इस एकीकरण मे माहौल बनता है या कि बिगडता है इसकी चिंता किये बिना कभी चलती बस मे उस व्यावसायिक संभावना का जमकर दोहन कर लिया जाता है तो अब एक अबोध बच्ची की पीडा मे भी क्रीडा जारी है। डा0 डी के शर्मा कहे तो कहते रहे कि उस अबोध बच्ची को तो पता भी नही कि उसके साथ क्या हुआ है लेकिन जिन्हे पता है कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद क्या कुछ किया जा सकता है। वे भला क्यो चुप रहे।

1आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यवस्था परिवर्तन मंच

प्रश्न – 8 अप्रेल 2013 को पतंजली योग पीठ हरिद्वार उत्तराखंड मे राष्ट्रीय सुधार शिखर सम्मेलन'' मे आपके गंभीर विचार सुनने का अवसर मिला। आपने कहा कि सम्मेलन के समक्ष जो विजन प्रस्तुत किया गया है वह ब्यवस्था मे सुधार का है। इसमे व्यवस्था परिवर्तन दूर तक नही है। सारा सम्मेलन आपकी स्पष्ट समीक्षा का कायल हो गया। कृपा पूर्वक आपसे निवेदन है कि व्यवस्था मे सुधार तथा व्यवस्था परिवर्तन के अन्तः संबंधो पर अपनी बौद्धिक समीक्षा ज्ञान तत्व मे देने की कृपा करे। आज समाज मे इसकी बडी आवश्यकता है।

उत्तर – सात और आठ अप्रैल को रामदेव जी के योगपीठ में आयोजकों की ओर से निवास और भोजन की अच्छी व्यवस्था थी। योगपीठ के निर्माण और व्यवस्था पर रामदेव जी ने जो ध्यान दिया है वह अन्य पूंजीपतियों के लिये मार्ग दर्शक है। भव्य हाल में सिर्फ चालीस लोग ही उपस्थित थे किन्तु दो दिनों की चर्चा से लगा कि देश भर के कुछ चुने हुए लोग ही थे। विदेशों से आयी हुए कुछ बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। दो दिनों के बीच बाबा रामदेव कभी नहीं दिखे किन्तु बाबा के प्रमुख राजनैतिक सलाहकारों की पूरी टीम थी।

पूरे कार्यक्रम में बाबा रामदेव की ओर से एक अधिकृत बयान आया कि दो हजार चौदह के आम चुनावों में बाबा रामदेव की टीम प्रत्यक्ष भाग लेकर तीन सौ सीटों तक का प्रत्यक्ष बहुमत प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। किन्तु अनाधिकृत चर्चा में यह बात आम थी कि बाबा रामदेव न्यूनतम सौ सीटों पर भाजपा से समझौता करेंगे।

मुझे वहॉ एक तटस्थ समीक्षक के रूप में अन्तिम सत्र के अन्तिम समय में पांच मिनट में सम्पूर्ण विजन डाकुमेंट की समीक्षा के लिये कहा गया। मैने पांच मिनट में ही स्पष्ट किया कि विजन डाकुमेंट में वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में सुधार के अनेक गंभीर प्रयास शामिल हैं किन्तु सम्पूर्ण डाकुमेंट में व्यवस्था परिवर्तन का कोई अंश शामिल नहीं है। मेरे अनुसार विजन बनाने वालों की नीयत तो साफ दिखती है किन्तु इसमें समझदारी का अभाव है। मैंने संक्षिप्त समय में व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था में सुधार के कुछ लक्षण भी बताये। आयोजकों ने मेरे भाषण को बहुत गंभीरता से लिया और बाद में कुछ और भी चर्चा की। कुल मिलाकर मैं वहॉ जाकर संतुष्ट था और आयोजक भी संतुष्ट थे।

वहॉ पांच मिनट में मैं व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था में सुधार को नाम मात्र ही स्पष्ट कर सका था। आपके पत्र के बाद शेष अन्तर और स्पष्ट कर रहा हूँ।

(1) भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करना सुधार है और लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा देना व्यवस्था परिवर्तन।

(2) दुनिया की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र है। भारत ने भी उसी की नकल की है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना व्यवस्था परिवर्तन है।

(3) भारत में वर्तमान में लोकनियुक्त तंत्र है। अच्छे लोगों को संसद में भेजना सिर्फ सुधार है। लोक नियंत्रित तंत्र परिवर्तन है। संसद के अधिकारों में कटौती व्यवस्था परिवर्तन है। बाबा रामदेव सरीखे लोग व्यवस्था परिवर्तन न समझने के कारण अच्छे व्यक्तियों को संसद में भेजने की बात कहते हैं। अन्ना जी भी प्रायः ऐसा ही बोलते रहते हैं यद्यपि वे साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। संसद में अधिकार सम्पन्न अच्छे और अधिकार विहीन बुरे लोगों के बीच अच्छे लोगों की संसद की अपेक्षा बुरे लोगों की संसद कम बुरी होगी। अधिकार सम्पन्न बुरे लोगों की अपेक्षा अधिकार सम्पन्न अच्छे लोगों का संसद में पहुंचना व्यवस्था में सुधार है। बुरे लोग भी संसद के अधिकार कम करें यह व्यवस्था परिवर्तन है।

(4) वर्तमान व्यवस्था में हमारे प्रतिनिधि संरक्षक होते हैं और समाज संरक्षित। हमारे प्रतिनिधि स्वयं को शासक कहते भी हैं और मानते भी हैं जबकि समाज को शासित। वर्तमान व्यवस्था में समाज के पास सिर्फ वोट देने का अधिकार ही होता है। शेष सारे अधिकार संसद के पास इकट्ठे हो जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था में राज्य को अधिकार होता है कि वह समाज के अधिकारों की सीमाएँ तय कर सकता है किन्तु राज्य अपने अधिकारों की सीमाएँ स्वयं तय कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था में व्यवस्था से जुड़े लोग अपने वेतन भत्ते तथा सुविधाएँ स्वयं तय कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। उनके मनमाने बढ़े वेतन भत्ते को समाज पूरा करने को बाध्य है। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ होगा कि समाज मालिक होगा और राज्य प्रबंधक या मैनेजर। समाज संविधान संशोधन के लिये संसद के एकाधिकार में कटौती करेगा, समाज राज्य के अधिकारों की सीमाएँ तय करने की कोई व्यवस्था कर सकता है। इसी तरह मनमाने वेतन भत्तों की भी व्यवस्था कर सकता है। समाज जब चाहे उतने अधिकार राज्य को दे सकता है तथा वापस ले सकता है।

(5) वर्तमान व्यवस्था में परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और केन्द्र के अधिकार संविधान तय करता है जिस पर संसद का एकाधिकार है। परिवर्तित व्यवस्था में परिवार, गांव, जिला, प्रदेश अपने अधिकार अपने पास रखकर शेष उपर की इकाई को देंगे। परिवार के पारिवारिक तथा गांव के गांव संबंधी मामलों में बिना उसकी सहमति के राज्य कोई कानून नहीं बना सकेगा।

(6) वर्तमान व्यवस्था में राज्य के पास ही पुलिस और सेना की भी सम्पूर्ण शक्ति है तथा आर्थिक शक्ति भी उसी के पास है। परिवर्तित व्यवस्था में एक स्वतंत्र अर्थपालिका होगी जो राज्य के नियंत्रण से अलग रहेगी।

(7) वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा की नीति बनाने का काम राज्य का है। परिवर्तित व्यवस्था में शिक्षा राज्य से बिल्कुल स्वतंत्र होगी।

इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। अब तक दुनिया में व्यवस्था परिवर्तन की पहल नहीं हुई है। व्यवस्था में सुधार के तो अनेक प्रयत्न जारी हैं। व्यवस्था परिवर्तन की पहल भारत से ही प्रारंभ हुई है। दुर्भाग्य है कि व्यवस्था में सुधार की आवाज उठाने वाले चाहे ना समझी में या जानबूझकर अपने काम को ही व्यवस्था परिवर्तन कह देते हैं जो पूरी गलत है।

2श्री ओम प्रकाश मंजुल, बरेली, उत्तरप्रदेश

विचार– सहारा इंडिया के सुप्रीमो, सुब्रतराय की सुपौत्री रोशना के अन्न प्राशन संस्कार से संबंद्ध सचित्र समाचार अखबारों मे आये है। यह संस्कार 20 मार्च 2013 को राजधानी दिल्ली के पंच सितारा होटल अशोक मे सम्पन्न हुआ था। रोशना के संस्कार की जगमग रोशनी को देखकर मेरा चित्त ही चकरा गया। इसमे राजनीति, सिनेमा, खेल, व्यवसाय, विधि, यहां तक कि अध्यात्म जगत की नामी गिरामी हस्तियों की चित्रावली देखकर मुझे अब भी विश्वास नही हो रहा है कि हम आज के प्रजातांत्रिक भारत मे जी रहे है या पंद्रहवी सोलहवी सदी के सामंती युग मे। इस आयोजन मे अनेक लोग सादर आमंत्रित रहे होगे पर प्रकाशित चित्रावली मे भी बहुत से यथाकथित एंव तथाकथित गणमान्य दृष्टिगत हुए।

ऐसे आयोजन से एक संवेदनशील मन मस्तिष्क मे अनेको जिज्ञासाये पैदा होना स्वाभाविक है। सबसे प्रबल सवाल यही है कि एक अति लधु संस्कार के निष्पादन पर पानी की तरह बहाने के लिये अकूत धन आता कहां से है? समाज वादी अर्थ व्यवस्था मे अति धनी बनना वह भी अति शीघ्रता से आसान नही होता। निसंदेह भारत की तथाकथित समाजवादोन्मुख घोंषित अर्थव्यवस्था या तो यर्थाथ मे समाजवाद की ओर उन्मुख नही है या इसमे कई सुराख है जिनमे से कुछ को भरने की शक्ति सरकार के पास भी नही है।

देश मे आज भी करोडो लोगो को 2 वक्त की भर पेट रोटी नसीब नही हो पा रही है पौष्टिक भोजन तो जोडना दूर है। ऐसे मे ऐसे शाही एंव ठांठ बाट के आयोजनो का क्या औचित्य है? एक ओर तो देश के हर शहर मे भिखारियों की भरमार है। विदेशो की भांति हम उनके लिये आत्म हाउसेंस की भी व्यवस्था नही कर सके है। हर गांव मे बेशुमार बेकार है और हर स्टेशन पर भूखे लाचार और लावारिश बच्चे दूसरो के द्वारा फेका गया जूठा भोजन जानवरो की भांति पत्तो पैकेटो मे खा चाट रहे है। वही दूसरी ओर सहारा जैसी धन कंपनियां अपने मसूबो को पूरा करने एंव अपनी शानो शौकत के प्रदर्शन के लिये तमाशायी प्रोग्राम रचाती है जिन्हे सूरज चंदा मे गोल रोटी नजर आती है। उन असंख्य भूखे नंगे को समझ इस प्रकार के बैनिटी शो करने वालो को शर्म आनी चाहिये। याद दिलादे कि सन 2004 मे भी सुब्रत राय ने अपने बडे बेटे सतीशो राय की शादी मे इसी तरह से लखनउ मे जश्न मना कर पानी की तरह पैसा बहाया था। उसमे भी देश की कई नाम चीन हस्तियो ने शिरकत की थी

हमारे यहां एक ओर सामाजिक सुधार की संस्थाएं और पंजाब हरियाणा आदि की सरकारे अपने प्रयासो एंव संवैधानिक उपचारो द्वारा बारात मे इक्कीस व्यक्तियो से अधिक पर प्रतिबंध लगा रही है। वही ये कुबेर कंपनियां इतने विशाल आयोजनो को अंजाम देकर अपसंस्कृति को बढावा दे रही है। इन्हे समाज की लज्जा तो नही है। भगवान का भय भी नही है।

देश को आजाद हुए आज 66 वर्ष होने जा रहे है। पर लगता है देश आज भी सांस्कृतिक मूर्च्छना से ग्रस्त है। इन राजसी और विलासी आयोजनो को देखकर सर्वहारा के लहू पर निर्मित पुराने क्रूर सामंती महल की याद आना स्वाभाविक है। इन सुब्रतरायो के क्रिया कर्मो को देख कर लगता है कि आज 21वी शताब्दी मे भी मध्यकालीन राय साहब वाद और नवाव साहब वाद से बना सामंतवाद ही प्रजातंत्र का मुखौटा पहन कर शासन कर रहा है। आज भी सरकार मे थैलियों तिजोरियों की काफी भनक हनक और धमक है। भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो। अन्ना हजारे द्वारा शुरू की गयी भ्रष्टाचारो के विरूद्ध मुहिम अभी थमी नही है। धीमी अवश्य पड गई है। इसी दरम्यान सुब्रतो द्वारा किये जाने वाले ऐसे सुकर्म निश्चितत: अन्ना के अभियान की प्रामाणिकता एवं सामायिकता पर

मुहर लगाते है । गौर तलब यह भी है कि कथित कार्यक्रम ऐसे समय सम्पन्न हुआ है जब सहारा की वित्तीय अनियमितताओ के लिये सुप्रीमकोर्ट ने उसे निर्देश दिये है तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के परिप्रेक्ष्य मे सहारा इंडिया और सुब्रतराय के विरूद्ध ताजा हरीन नोटिस जारी किये है।

विवाह मेलो तथा दावत के बहाने अन्न प्राशन प्रोग्रामो मे पहुंचने वाले कर्णधारो से अनेक सामान्य प्रश्नो सहित यह अहम प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे आयोजनो मे भाग लेने के लिये भागते वक्त क्या वे यह नही सोंच पाते है कि इन कार्यक्रमो का प्रच्छन्न एंव मौलिनक उद्देश्य क्या है तथा इनसे देश की जनता के बीच क्या संदेश जाता है? लौट घूम कर बात फिर वही पर आती है। इतना धन एक जेब मे कैसे आया? तथा इसे इतनी अमर्यादा से क्यो बर्बाद कया जा रहा है? देश की प्रथम नागरिक रह चुकी निवर्तमान राष्ट्रपति श्री मति प्रतिभा पाटिल जब सुब्रतराय के यहा पहुंचकर उनसे हाथ मिलाती है तो यह विश्वास ही नही होता कि यह इंदिरा गांधी की विचारधारा की वाहक और पोषक प्रतिभा पाटिल है। लगता है यह तो प्रतिभा और संस्कृति को ही पाटने वाली कोइ देवी है।

अलबत्ता न्यायपालिका साहित्यकार साम्यवादी पत्रकार और पुलिस से जुडे उच्च अधिकारी एंव प्रमुख जन अवश्य बधाई के पात्र है जिनने इन जन विरोधी कार्यक्रमो मे भाग नही लिया। कदाचित न्योता इन्हे भी भेजा गया होगा। पर ये लोग या तो अनुपस्थित रहे या इन्होने किसी माध्यम से लीव के लिये लेटर या संदेश भेजवा दिया। संभावना यह भी है कि कांग्रेस भाजपा सपा बसपा तथा राजद आदि के भी कुछ ऐसे नेता हो जो आंमत्रित किये गये पर समय की नब्ज और नजाकत को देखते हुए नही पधारे। ये लोग भी बधाई के पात्र है।

प्रीवि पर्सेज को खत्म करने और बैको का राष्ट्रीयकरण करने वाली इंदिरा जी आज याद आ रही है आज की ये कुबेर कंपनियां वास्तव मे कु+बेर यानी बुरे समय की कंपनियां बन चुकी है। समाज वादी ढांचे के प्रति उन्मुख भारत को ऐसी कंपनियों की आवश्यकता नही है। ऐसी कम्पनियों का जनहित मे तत्काल राष्ट्रीय करण कर देना चाहिये।

समीक्षा – आपने वर्तमान स्थिति का बहुत सजीव चित्र खींचा है। मैं सहमत हूँ कि आर्थिक असमानता एक अन्यायपूर्ण भयानक परिस्थिति है। किन्तु मैं आर्थिक असमानता की अपेक्षा अधिकारों की असमानता को कई गुना ज्यादा अन्यायपूर्ण तथा भयानक मानता हूँ। सुब्रत राय या उनके सरीखे पूंजीपतियों ने जो पैसा खर्च किया वह या तो उनकी कमाई का था या शोषण का। किन्तु न तो वह पैसा समाज की अमानत थी न लूट। भारत में राजनेताओं के पास जो अधिकार इकट्ठे हैं और शक्ति के रूप में बदल गये हैं वे न तो उनके अपने हैं न कमाये हुए। वे या तो समाज की अमानत हैं या लूट का माल। सुब्रत राय जी की पार्टी में उद्योगपति, कलाकार, साहित्यकार, नाटककार या खिलाड़ी तो अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से आमंत्रित थे किन्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश सरीखे आमंत्रित लोगों की स्वतंत्र हैसियत क्या है? इन सबने मिलकर एक किताब लिख ली है और उसका नाम दे दिया संविधान। उस किताब में मनमाना कुछ भी लिखने सुधारने निकालने का एकाधिकार इन सबने अपने ही चट्टे बट्टों के पास रखा है और खुद ही संविधान में लिखकर ये लोग बन गये शासक और समाज हो गया शासित। इन सबको किसने और कब अधिकार दिया कि ये परिवार के शुद्ध पारिवारिक मामलों में भी अपने निर्णय थोप दें। विवाह की उम्र क्या हो, परिवार के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन कैसा हो, परिवार में पर्दा हो या नहीं, परिवार के बच्चे मोबाइल रखें या नहीं, ये सब निर्णय परिवार आपसी सहमति से करेगा न कि सरकार। हमारी अमानत अपने पास रखकर ये बन गये मालिक। ये सुब्रत राय की पार्टी में वी आई पी बनकर शामिल होते हैं जबकि इनके पास जो भी शक्ति है वह समाज की है।

आपने गरीब और अमीर के बीच बढ़ती दूरी की ओर ध्यान खींचा है। मैंने संचालक और संचालित के बीच बढ़ती दूरी की ओर ध्यान खींचा है। इनके पास किसी भी व्यक्ति की फांसी माफ करने का अधिकार है और हमारे पास यह भी अधिकार नहीं कि हम स्वेच्छा से बार बालाओं का डांस भी देख सकें। आप आर्थिक असमानता की सीमा रेखा आवश्यक मानते हैं और मैं मानता हूँ कि इससे ज्यादा आवश्यक लोक और तंत्र के बीच अधिकारों की सीमा रेखा का बनना है। मेरा विचार है कि भूखा स्वतंत्र व्यक्ति भरे पेट गुलाम की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है।

आप जिस समाजवाद की चर्चा कर रहे हैं उसके ही रोमानिया के राष्ट्रपति चौसेस्कू की एकाएक हत्या करके देखा गया आंखे फटी की फटी रह गई। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि समाजवाद के नाम पर अधिकार इकट्ठे करके समाज को गुलाम बनाने की बात अब पुरानी पड़ गई है। अब तो पूंजीवाद और लोकस्वराज्य के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये। समाजवाद उसी प्रकार आउटडेटेड हो गया है जिस तरह राज तंत्र। अब तो लोकतंत्र और पूंजीवाद मैदान में हैं। इन दोनों के विकल्प के रूप में लोक स्वराज्य और समाज व्यवस्था जैसे शब्दों को आगे बढाइये। अर्थ व्यवस्था के केन्द्रीयकरण या सरकारी करण शब्द भी घातक हैं और अर्थ भी। आशा है कि आप अपने विचार पर दुबारा विचार करेंगे।

3 श्री कैलाश बिहारी श्रीवास्तव, डी 14.शहजादा कोठी, रायबरेली, उत्तरप्रदेश

ज्ञान तत्व से बहुत कुछ वर्तमान भारतीय जीवन के बारे मे जानकारी मिलती है तथा इसके भेजे जाने मे आपकी मानवीय प्रतिवद्धता और समाज को एक नये स्वराज की परिकल्पना का आयाम देने के प्रयास सराहनीय है।

जैसा कि आप भी जानते है माने या नही यह समय देश काल एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है । जैसा कि विगत मे हर देश काल मे होता रहा है। रामायण काल महाराभारत काल इसका उदाहरण है और किसी मनोवृत्ति की अति से जनमानस पीडित हो जाता है। तब एक नया जनाक्रोश जन्मता है और परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, जिसकी ब्यापकता से भौतिक परिस्थितियों मे आंशिंक बदलाव से लोगो को छणिक राहत मिल जाती है, जो पुनः एक अन्तराल के बाद बीती विषयगत की पुनरावृत्ति होती है। यह प्रकृत्ति का स्वभाव है। प्रकृति स्वयं साकार रूप मे न प्रकट होकर किसी अधम नियम कानून परंपरा समाज सेवक नेता से सब कुछ करा देती है, जिस समय की त्रासदी के सक्रमण काल से लोगो को मानसिक संतुष्टि मिल जाती है। आपके समग्र प्रयास इसी दिशा मे चल रहे है। इस देश मे अब कुछ भी स्वीकार नही है। जहां पत्र कारिता भी पैसे पाकर समाचारो को तदनुसार छापती है, नेता और नौकरसाही का गठजोड हर दिन उनके भ्रष्टाचार के सिरे से उजागर करता है। मगर देश के 50 प्रतिशत शरीफ लाचार है। कुछ कहा नही जा सकता कुछ कर नही सकता। मंहगाई की आंधी चारो ओर है। पिस रहा है साधारण आदमी । अमीर लखपती भ्रष्ट नेता हर राजनैतिक हर नौकरशाही, को महंगाई से कोई फर्क नही पडता। आपने जिस समाज की कल्पना की है, उसके प्रति मेरा सम्मान है । संदेह है शायद मेरे जीवन काल मे दिखे? बाद मे क्या होगा कह नही सकता। मै स्वयं सेवानिवृत्त कर्मचाारी 15 वर्ष से सेवा निवृत स्थिति मे जी रहा हूँ। वर्ना सोचता हूँ राणा प्रताप को भामाशाह ने मदद किया था। शायद आप भी गरीब महाराणा प्रताप के लिये आप भामाशाह का प्रतिरूप बन गये ।

समीक्षा – आपके पत्र से मेरा उत्साह बढ़ा है। देश में भामाशाहों का अभाव भले ही दिख रहा हो किन्तु समाज में तो कहीं ऐसा अभाव नहीं दिख रहा। यदि अभाव होता तो मेरी लेखनी बन्द हो गई होती। मैंने अपने जीवन में कभी न किसी से कुछ मांगा न कभी आवश्यकता पड़ी। समाज ने स्वतः बिना मांगे सारी जरूरतें पूरी कीं। मैं समझता हूँ कि समाज में भामाशाहों का अभाव नहीं है। भामाशाहों की दान प्रवृत्ति को पेशेवर सामाजिक धार्मिक संगठन नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये पेशेवर संगठन रोज ही चंदे के नाम पर भीख का कटोरा लिये घूमते रहते हैं। सरकार भी नये नये टैक्स लगाकर समाज को परेशान करती है। उपर से हाल यह है कि यदि कोई साधारण सी भी प्राकृतिक विपदा आ जाये तो सरकार उसी बहाने समाज से धन उगाही शुरू कर देती है। विभिन्न पेशेवर संगठन भी इस बहाने अपनी छवि चमकाने लगते हैं। ऐसे ऐसे तत्व किसी भामाशाह को भामाशाह बनने के पूर्व ही या तो निचोड़ लेते हैं या उसकी भावना को नुकसान पहुँचाते हैं।आपने जो लिखा उसके लिये पुनः धन्यवाद

4 श्री राजनारायण चौधरी, शाजापुर, मध्यप्रदेश

प्रश्न – आप जो कार्य कर रहे हैं वह बेहद प्रशंसनीय भी है और प्रेरणा दायक भी। आपसे अनुरोध है कि आप राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति समाज में दायित्वबोध की दिशा में भी कुछ करें। आपने दिल्ली गैंग रेप पर अपने विचार व्यक्त किये। किन्तु आपने बलात्कार को बढ़ावा देने वाले सरकारी कानून के विरूद्ध कुछ नहीं कहा जिसके अनुसार समलैंगिक विवाह या लिप इन रिलेशन शिप को बढ़ावा देने की बात शामिल है। यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। आप अपने विचार भी लिखें।

5 श्री अमर सिंह आर्य, जयपुर, राजस्थान

प्रश्न – अमेरीका के दो विशेषज्ञ लौरेस हैरीसन और सम्युयेल हटिग्टन है जिनकी सलाह पर अमेरिका की नीतियां बनती आ रही है। इनका मानना है कि दुनियां पर आर्थिक और राजनैतिक अधिपत्य ही नही सांस्कृतिक वर्चस्व भी होना चाहिये । ये अमेरिकी सांस्कृतिक मूल्यो को भी थोपना चाहते है । ये स्पष्ट नही करते कि वे मूल्य कौन से है? परन्तु उन मूल्यों को हम भारत मे लिव बी फोर समलैंगिक विवाह के रूप मे देख रहें है। भारतीय समाज मे चाहे जितना प्रगतिशील विचार करने वाले लोग हो, ऐसे परिवार भी अपने बच्चे बच्चियो के विवाह पूर्व शारीरिक संबंधो की अनुमति के खिलाफ है परन्तु सरकार सामाज की अनदेखी कर एक तरफा बाहरी दबाव मे कानून बना रही है, जिसमे न्यायपालिका भी आगे बढकर बिना समाज की स्थिति के अध्ययन किये सहायक की भूमिका निभा रही है। सरकार बलात्कार जैसे जधन्य अपराध न रोक पाने की अपनी असफलता छिपाने के लिये लडके लडकियां के शारिरिक संबंध बनाने का कानून बनाकर बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रही है। सृष्टि के संतति उपक्रम मे हस्तक्षेप कर प्रकृति के विरूद्ध अपराध कर रही है। बाल विवाह को प्रोत्साहन का यह कार्य क्षम्य नही।

2 विकिलिक्स के खुलासे का एक प्रतिष्ठित पत्रकार की राजस्थान के एक समाचार पत्र के लेख के मुताबिक वर्ष 2011 मे इस पर संसद मे तीखी बहस हुई । अमेरिका के राजदूत कई केन्द्रीय मन्त्रियो से मिलकर खैर खबर लेते रहे। किसे मंत्री बनाना है आदि । संसद मे जबाब देते हुए पवन बंसल तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा कि विदेशी राजदूतो का काम सूचना एकत्र करना होता है। परन्तु बन्सल से जब पूछा गया कि राजदूत के साथ मंन्त्रियो की मुलाकात और उसमे सरकार की कार्यविधि और नीतियों की चर्चा करना कूटनीतिज्ञ गुप्तचरी मे कैसे आता है। ये तो देश द्रोह की श्रेणी मे आता है। चर्चा करने वाले सभी मंत्रीदोषी है। इस्ट इन्डिया कम्पनी के समय इस तरह का आचरण करने वाले मीरजाफर को इतिहास ने कभी माफ नही किया। विपक्ष के दिग्गज सांसद मुरली मनोहर जोशी ने भी स्वीकारा कि सरकारो पर अमेरीकी प्रभाव रहा है। आगे कहा गया कि संसद मे वोट खरीदना कही कम गम्भीर मसला है बजाय इस बात के हमारी सरकारे ही अमेरिका के हाथो बिकी हुई है। यह कैसा लोकतंत्र है कि हम देशद्रोहियों को सत्ता से बाहर नही कर सकते। किसी मंत्री के साथ कोई भी । आज तक कार्यवाही नही हुई । इसी तरह देश के साथ खिलवाड करते रहेंगे ये शक्तिशाली लोग। किसी अन्य देश मे शायद ये सम्भव न होता।

उत्तर – आप दोनों विद्वानों ने असत्य लिखा है कि सरकार ने लिव इन रिलेशन शिप या समलैंगिक सम्बन्धों के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया है। इसके विपरीत सच बात यह है कि अब तक सरकार ने इन दोनों क्रियाओं को रोकने के लिये जो कानून बना रखे थे उन कानूनों को हटा लिया है। अब तक समलैंगिक संबंध रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी। अनैतिक असामाजिक कार्य रोकना समाज का काम होता है सरकार का काम नहीं। सरकार तो सिर्फ अपराध रोकने का काम करती थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सारा काम अपने उपर लेकर समाज को निष्क्रिय कर दिया। सरकार ने अनैतिक असामाजिक कार्य अपने जिम्मे तो ले लिये किन्तु कर नहीं सकी। इसके विपरीत उसका अपना काम जो अपराध रोकना था वह पिछड़ता चला गया। समाज निकम्मा होता गया और समाज की सरकार से उम्मीदें भी बढ़ने लगीं। समाजशास्त्री, या धर्मगुरू श्री हीन होने लगे। उनका प्रभाव घटने लगा। वे सरकारों से सुविधा सम्मान की उम्मीद करने लगे। वे सरकारों से सक्रियता की मांग करने लगे। समलैंगिक सम्बन्ध या लिव इन रिलेशन शिप जैसी बुराइयों को रोकने में आप यदि सरकार को लगायेंगे तो विचार करिये कि बलात्कार कौन रोकेगा? आप क्या करेंगे? दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग अपना काम न करके सरकार से मांग कर रहे हैं। खड़े होकर कहिये कि यह हमारा काम है सरकार का नहीं। सरकार अपराध रोके और हम बुराइयां रोकेंगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब आप विद्वानों ने समलैंगिकता या लिव इन रिलेशन शिप को बलात्कार के साथ जोड़ दिया। सच बात तो यह है कि ये बुराइयां बलात्कार जैसे अपराधों को घटाती हैं, बढ़ाती नहीं। किसी भूख से छटपटा रहे भूखे को कोई स्वयं भूखा रहकर भी मदद कर दें तो इसमें गलत क्या है? किसी काम क्षुधा पीड़ित को कोई अन्य भूख मिटा दे तो आपको क्यों कष्ट हुआ। क्या उस भूख मिटाने वाले का कुछ नुकसान हो गया? नुकसान तो तब होगा जब भूखा छीन कर खायेगा या लूट कर खायेगा।

मैं तो इस मत का हूँ कि लिव इन रिलेशन शिप या समलैंगिकता जैसी सामाजिक बुराइयों को अपराध घोषित करने की जो भूल पहले सरकार ने की थी उसे अब सुधार कर अच्छा काम किया है। सरकार को अन्य कार्यों से भी हटकर समाज को सौंपने की पहल करनी चाहिये। बाल विवाह को रोकने के कानून भी सरकार को हटा लेने चाहिये। इससे समाज सक्रिय होगा सशक्त होगा तथा सरकार अपराध रोकने में ज्यादा ताकत लगा सकेगी।

मैं आज तक नहीं समझ सका कि कौन लोग मंत्री बनने वाले हैं इस बात का पता लगाना देश द्रोह किस प्रकार हो गया। संभव है कि यह बात गुप्त हो तथा बताना हमारे किसी मंत्री की भूल थी किन्तु क्या वह भूल कोई ऐसी गंभीर थी कि बात का बतंगड़ बनाकर उसे देश द्रोह की सीमा तक ले जाया जाये और फिर आप उसकी तुलना मीर जाफर से कर दें। आप एक विचारक हैं साहित्यकार नहीं जो इस तरह अनावश्यक शब्द रचना में अपना समय लगावें। विदेशी राजदूत प्रायः ऐसा करते हैं और जब तक किसी खतरनाक सीमा का उल्लंघन न हो तब तक ऐसी बातों को गंभीर बनाना ठीक नहीं। आपने मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगो का उदाहरण दिया है। भाजपा के अधिकांश लोग बात का बतंगड बना बना कर अपनी विश्वसनीयता खो चुके है। जिनमे जोशी जी भी शामिल है। रोज रोज प्रधान मंत्री का इस्तीफा मागंना, वित्त मंत्री, गृह मंत्री का बहिष्कार करना, किसी न किसी बहाने संसद ठप करना इनकी रोज रोज की आदत हो गई है। ऐसे लोगो का उदाहरण देकर आप अपनी विश्वस्नीयता को खतरे मे न डाले।

आप जानते हैं कि मैं बचपन से ही आर्य समाज के साथ जुड़ा रहा। ब्रम्हचारी राजसिंह जी आर्य ने ही मुझे वानप्रस्थ के लिये प्रेरित किया। स्वामी दयानन्द ने सिखाया है कि समाज राज्य से उपर होता है। समाज को अपना काम स्वयं करना चाहिये। जो लोग समाज सुधार के कार्य राज्य के माध्यम से कराना चाहते हैं वे निकम्मे हैं, गलत हैं, प्रभावहीन हैं तथा अनावश्यक राज्य के हस्तक्षेप को आमंत्रित करते हैं। आप स्वामी जी की परिभाषा अनुसार स्वयं को कैसा मानते हैं यह आप जाने किन्तु मैं तो अपने को निकम्मा, गलत प्रभावहीन नहीं मानता। यही कारण है कि मैं लिव इन रिलेशन शिप या समलैंगिक सम्बन्धों के विरूद्ध होते हुए भी इसमें राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ हूँ।

6 श्री ओम, आई, खटवाणी, अधिवक्ता, धुले, महाराष्ट्र

विचार – ज्ञानतत्व अंक दो सौ इकसठ में आपने आनन्द शंकर तिवारी छतरपुर मध्यप्रदेश द्वारा जनगणमन राष्ट्रगान से अधिनायक तथा सिन्ध शब्द हटाने की मांग का जो उत्तर दिया वह अपूर्ण है। आपका उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता कि कविता के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर का सिंध शब्द लिखने का आशय सिन्ध प्रदेश या उस भूभाग से न होकर सिन्धु संस्कृति से था। स्पष्ट है कि सिन्धु संस्कृति आज भी शेष भारत के बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा है। यदि लेखक ने सिन्ध का अर्थ प्रदेश से किया होता तो गीत में गुजरात द्राविड़, उत्कल, बंग शब्द शामिल नहीं होते क्योंकि गुजरात या द्राविड़ आदि कभी कोई प्रदेश तो थे नहीं। ये तो सांस्कृतिक क्षेत्र थे। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंध प्रान्त तक सीमित नहीं थी। सिन्ध प्रान्त भले ही पाकिस्तान में गया किन्तु सिन्धु संस्कृति प्रभावित बड़ा भाग तो अब भी भारत में है। दूसरी बात यह भी है कि गीत विभाजन पूर्व का था। यदि पाकिस्तान अलग भी हुआ तो भारत का पुराना पारिवारिक नाता पाकिस्तान से नहीं टूट सकता। भारत और पाकिस्तान हैं तो एक ही पिता के पुत्र। तीसरी बात यह भी है कि पूर्व में ही राष्ट्र गान से सिन्ध शब्द निकालने संबंधी अन्तिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। ऐसी स्थिति में आधे अधूरे तर्क देकर इस मामले को बार बार उठाना ठीक नहीं।

उत्तर – आपने जितने विस्तार से बताया उतना मुझे पता नहीं था। आपका लेख तो बड़ा है जिसका सार मैंने प्रकाशित किया है। पूरा लेख मैंने आनन्द शंकर जी को भेज दिया है। उनका उत्तर आयेगा तो आपको जायेगा।

7 चितरंजन भारती, पंचग्राम, असम

''

विचार – आपकी पत्रिका के माध्यम से मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। खासकर सामाजिक मामलों मे आप सैद्धातिक और व्यावहारिक दोनो प्रकार का सुझाव देते है जिनपर अमल कर व्यक्ति कई प्रकार के मानसिक अंतर्द्वद तथा व्यावहारिक कठिनाइयो से बच सकता है। कम से कम मै तो इनपर अमल करता हूँ। दुख इस बात है कि अत्याधिक दूरी के वजह से मै आपको कोई सहयोग नही कर पाता।

अंक 260 मे प्रकाशित आलेख '' लूट का माल और सरकारी कर्मचारी'' बहुत पसंद आया। काश आम जनता इस लेख के तथ्यो से वाकिफ हो पाती तो वे तथाकथित बेचारो को न कोसते। आपने बिल्कुल सहज शैली मे कारण और निदान प्रस्तुत किया है। विगत कई अंको मे मै कृत्रिम उर्जा पर आपके विचार पढ रहा था कि कैसे ये चीजे सस्ती है और किन लोगो के लिये है। समय चक्र घूमा तो जैसे आपके विचारो का ही कार्यान्वयन हो गया। कुछ ऐसा ही हो शायद ।

इसी अंक मे आचार्य पंकज का सुझाव एंव आपका जबाव भी पढा। आप लोगो ने ठीक निष्कर्ष निकाला है कि सिर्फ नीरस गंभीर विचार विमर्श तक ही सीमित न रहकर कुछ तात्कालिक घटनाओ पर भी टिप्पणी की जाए। इसमे वस्तुतः मुझ जैसे सामान्य पाठक स्थिति परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझने मे सफल रहेंगे।

देखिये जीवन के कुछ सिद्धान्त है। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि। इन्ही बातो को तो विभिन्न विधाओ के माध्यम से विद्वान कहते है और जनता भी समझ जाती है। तथाकथित गुरू और बाबा लोग भी तो यही करते है और इसके चक्कर मे अनपढ तो क्या बडे बडे विद्वान भी आ जाते है। आज का जीवन तो और भी जटिल है, और इसलिये उनपर सटीक मनोरंजक टिप्पणी ज्ञान तत्व को और अधिक पठनीय और संग्रहणीय बना सकता है।

आपने अंक 261 मे चार सुझाव दिये है जो व्यवहार मे लाया जाना चाहिये ताकि हम सभी वर्तमान के कशमकश और संकटो से बच सके और इसके लिये न दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है और न ही जेब से एक पैसा खर्च होगा। इस अंक मे आपने महिला अधिकार की बात को सामने रखा है। काश इस अंक को वे तथाकथित समाज के ठेकेदार और धंधेबाज पढ पाते तो सबका भला हो जाता। आप हम सभी का इसी तरह मार्ग दर्शन करते रहे और स्वस्थ रहे यही कामना है।

8 कृष्ण चंद्र सहाय आगरा वाले, दादी का फाटक जयपुर राजस्थान

विचार– मेरे दामाद का 2 फरवरी को हृदय गति रूक जाने से देहान्त हो गया । बेटी अकेली रह गई । मै 12 फरवरी को आपकी टीम मे जयपुर मिलना चाहता था किन्तु नही मिल सका क्योकि तेरहवा था।

देल्ही बलात्कार पर आपने अपने जो विचार प्रकट किये है वह पूरी तरह सच्चाई के साथ है । अभी तक कोई भी इतना खुलकर नही लिख सका है। जब काम इच्छा जागृत होगी तो व्यक्ति फांसी की भी परवाह नही करेगा। यह सारा इतिहास भरा है। कविता श्रीवास्तव ने फांसी का विरोध किया था यह मैने यहां अखबारो मे पढा था। इसके बाद भी घटनाओ के कारण चारो तरफ मे फांसी नहीं की मांग कम हो गई थी। आपने सच लिखा है कि यदि फांसी का प्रावधान हो गया तो हत्याये वढ जाऐगी तथा दुष्कर्म भी बढ जायेगे। इतना हल्ला होने पर बलात्कार नही रूका और न रूकेगा। जब तक व्यवस्था नही बदलेगी तथा मानव स्वभाव नही बदलेगा। तबतक सिर्फ कानून से बलात्कार नही रोका जा सकता है। आपक विचारो के साथ हूँ।

9 श्री सिद्धार्थ शर्मा बेगलोर कर्नाटक

दिल्ली मे पुनः बर्बरता का प्रदर्शन हुआ है। पांच वर्ष की अबोध के साथ क्रूरता पूर्ण दुष्कर्म की घटना भारत सहित विश्वभर मे खबर बन गई है। इतनी कि प्रधानमंत्री ने भी वक्तब्य दे दिया है कि समाज को आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होने यह भी कहा कि सरकार ने अपराधो से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिये कानून को मजबूत बनाने के कार्य को तेजी से आगे बढाया है। मीडिया मे चल रही लगातार बहस के दौरान भी भारत के बुद्धिजीवी कुछ ऐसी ही बाते करतें तथा कडी से कडी सजा के हिमायती दिख रहे है।

प्रधानमंत्री की माने तो पूरा समाज दोषी है और बुद्धिजीवियों की माने तो हर दोषी को फांसी होनी चाहिये । इन दोनो की राय लागू हो जाय तो भारत मे मनुष्य प्रजाति डायनासोर के समान लुप्त हो जायगी। आश्चर्य है कि भारत के जिम्मेदार लोग यह भी नही जानते कि समाज मे अपराधियों की संख्या 2 प्रतिशत से भी कम होती है, तथा ऐसे अपराधी तत्वो से शेष 98 प्रतिशत सज्जनो को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ही पुलिस होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2011 के आकडे बताते है कि भारत मे कुल संज्ञेय अपराधो की संख्या 2325575 है तो दो प्रतिशत विकृत लोागे के कृत्यो की जिम्मेदारी शेष अटठानवे पर डालना कहां की समझदारी है? यह तो चर्चा हुई समस्या की। अब देखे की भारत के ये मूर्धन्य इसका समाधान क्या बता रहे है।

प्रधानमंत्री से लेकर टी वी पर सभी फांसी जैसी कडी से कडी सजा की वकालत करते दिख रहे है। मै भी असाधारण कृत्यों हेतु फांसी का पक्षधर हूँ । पर सच्चाई यह है कि सुरक्षा और न्याय भिन्न भिन्न विषय है। जब किसी ब्यक्ति के साथ अन्याय घटित हो जाता है तब न्यायालय उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकारो के हनन के नैतिक मुआवजे के रूप मे न्याय देता है। कानूनो को कडा करने से न्यायालयो को ऐसे मुआवजे देने मे अधिक सुविधा तो अवश्य होगी पर ऐसी घटनाए रोकने का काम न्यायालय नही कर सकते । किसी व्यक्ति के मूल अधिकारो कें हनन को रोकने का काम तो सुरक्षा एजेंसियों का है। भारत मे उस एजेंसी को पुलिस कहते है।

भारत के कर्णधारो को दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशो मे ऐसी ही समस्या का क्या समाधान खोजा गया, इसका अध्ययन करने की फुर्सत निकालनी चाहिये। 1990 के दशक मे अमरीका एंव युरोप मे घटती अपराध संख्या पर अलग अलग शोध स्वीटन पिंकर तथा स्वीटन लेविट ने किये । जिसके आश्चर्यजनक परिणाम लेविट ने 2004 के अपने शोध पत्र मे कहे। इसमे कहा गया कि केवल कुछ अपराधो मे कमी की प्रतीक्षा करना अव्यावहारिक है। किसी समाज मे कुल अपराध या तो घटते है या बढते है । यूरोप एंव अमरीका की अपराध दर सर्वत्रिक रूप से घटी चाहे वह भौगौलिक दृष्टि से हो आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से हो या शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट हुआ कि इस घटती अपराध दर मे बुद्धिजीवियों द्वारा बहुप्रचलित सिद्धान्त, जैसे पुलिस सुधार, फांसी की सजा जैसे कडे कानून, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा संस्कृति आदि का कोई स्थान नही था। घटती अपराध दर का एकमात्र ठोस कारण था पुलिस बढोतरी से दो महाद्वीपो मे अपराध दर मे ठोस गिरावट देखी गई है।

भारत मे भी लोकस्वराज मंच जैसे सामान्य नागरिकों के सामाजिक सरोकार वाले समूह वर्षो से यही समाधान देते आये है कि कानून से चरित्र न कभी बना है न बनेगा । यह सच्चाई राजनेताओ एंव बुद्धिजीवियो को समझनी चाहिये। यदि वे न समझे तो आम आदमी उन्हे समझाये। अपराधियो से समाज की सुरक्षा राज्य का दायित्व है । अन्य किसी से यह संभव नही। यह बात आम आदमी को समझनी पडेगी। भारत मे पुलिस की स्थिति यह है कि प्रति एक लाख आदमी पर 137 पुलिस वाले तैनात है । वही महज 13000 वी आई पी की सुरक्षा मे 45000 पुलिस वाले नियुक्त है। और सरकारी सूत्रो के अनुसार 22 प्रतिशत पुलिस पद रिक्त है। इसी कारण राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2003 मे भारत मे कुल अपराध जहां 17 लाख से कम थे वही वे 2011 मे 23 लाख उपर पहुंच गये । यानी केवल 8 साला मे 1/3 से अधिक की खतरनाक वृद्धि।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि चरित्र निर्माण ही सारी समस्याओ का समाधान है तो इतनी भारी भरकम राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है? क्यो न सभी सरकारी महकमों को बंद कर सकल घरेलू उत्पाद को चरित्र निर्माण मे झोक दिया जाय। समय आ गया है कि हम भारत के लोग अपने स्वतंत्र चिंतन से कुछ नतीजो पर पहुंचें। क्योकि रोगी को समय से दवा न मिलने से जितना खतरा होता है उससे कही ज्यादा खतरा गलत दवा के सेवन से होता है। न्याय और सुरक्षा के अतिरिक्त सारे काम राज्य, परिवार, गांव, समाज को सौप दे और अपनी सारी शक्ति समाज को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने मे लगाए, यही व्यवस्था परिवर्तन है और भारत की समस्याओ का सही समाधान है।

समीक्षा– आपने जो तेइस लाख की संख्या बताई है वह संख्या भी भ्रामक है। स्वतंत्रता के बाद हमारे ऐसे ही नासमझ नेताओ ने कुछ नासमझी मे तथा कुछ चालाकी वश गैर कानूनी कार्यो को भी गंभीर अपराध कहकर उन्हे संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया। जबकि वे कार्य अपराध ही नही होते है तो उन्हे संज्ञेय

असंज्ञेय कैसे कह सकते है। हरिजन आदिवासी कानून उल्लंघन, ब्लैक, तस्करी, दहेज, सती प्रथा समर्थन, इसी एंक्ट उल्लंधन, हेरोइन गांजा उपयोग या ब्यवसाय जैसे कार्य अनैतिक हो सकते है, गैर कानूनी हो सकते है, किन्तु ऐसे कार्यो को अपराध कहना भी एक अपराध है। ऐसे अनेक कानूनो को संज्ञेय बताकर यह संख्या बढाई गई है। वास्तव मे तो सम्पूर्ण समाज मे अपराधियो की संख्या लगभग एक प्रतिशत से भी कम होगी।

आपने अपने लेख मे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये है। तथाकथित दो प्रतिशत समाज के प्रवक्ताओ को इन प्रश्नो का उत्तर देना चाहिये।

10 श्री अन्ना हजारे द्वारा राहुल गांधी को सुझाव

देश और देश की जनता की भलाई के बारे मे आप जो बोलते है उसे सुन कर अच्छा लगता है। आप एक युवक है। मेरी सोच मे युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है।यह युवा शक्ति अगर जाग जाए तो देश का उज्वल भविष्य दूर नही।

देश के उज्जवल भविष्य के लिये यदि आप तनमन से सोचते है तो जनता की तरफ से हम भी आपसे कुछ अपेक्षाए रखते हे। 1857 से 1947 तक के नब्बे सालो मे लाखो शहीदो की कुर्बानी के बाद सन 1947 मे देश को आजादी मिली।

1949 मे हमारा संविधान डा0 बाबा साहब अंबेडकर जी ने संसद को अर्पण किया । 26 जनवरी 1950 को देश प्रजा सत्तात्मक हो गया। इस देश की मालिक प्रजा बन गई । मतलब सरकारी तिजोरी मे जमा होने वाला पैसा जनता का है । हम सब कहने लगे कि हमारे देश मे जनतंत्र आ गया । जनतंत्र के माने जनता ने जनता के लिये जन सहभाग से चलाया हुआ जो तंत्र वह है जनतंत्र । देश मे जनतंत्र को आकर 63 साल बीत चुके है। लेकिन देश का हर व्यक्ति मानो आज कह रहा है कि कहा है वह जनतंत्र, उस जनतंत्र पर पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ है। देश मे पार्टी तंत्र के द्वारा जनतंत्र पर किये गये अतिक्रमण के कारण आज उस जनतंत्र का पक्ष पार्टी तंत्र सरकार अधिकारी तंत्र बन गया है। जनता ने जनता के लिये जन सहभाग से चलाया जा रहा जनतंत्र कही भी नही रहा। जनतंत्र नेस्तनाबूद हो गया है। संविधान मे कही पर भी ऐसा नही कहा है कि पार्टी तंत्र आ जाए और जनतंत्र को पार्टी तंत्र से दबा दिया जाय। देश और देश की जनता का भविष्य बनाना अगर आप चाहते है तो मेरी सोच मे जनता ने जनता के लिये जन सहभाग से चलाया तंत्र जनतंत्र को मजबूत करने से ही देश का भविष्य बदलेगा। आज पक्ष पार्टी तंत्र के कारण पार्टियो मे सत्ता संपत्ति को हथियाने की होड सी लगी है। कोई भी पार्टी यह नही सोचती कि जिस उम्मीद वार को पार्टी का टिकट दिया जा रहा है वह चरित्रशील हो। चरित्रशील उम्मीदवार यदि संसद मे जाए तो समाज और देश की भलाई मे अच्छे कानून बनवाए। कई पक्ष औा पार्टिया भ्रष्टाचारी लुटेरा गुंडा व्यभिचारी लोगो को उम्मीदवारी देती है। सत्ता मे आने के लिये कुछ भी करना पडे। यह जानते हुए कि वह भ्रष्टाचारी है। गुंडा है लेकिन उसके पीछे मत इकठ्ठो है। इस लिय उन को टिकट देती है। नतीजतन विधानसभा और लोकसभा जो लोकशाही के पवित्र मंदिर है वहां गुनाहगार उम्मीदवार भी भेजे जाते है।

ऐसे दागी उम्मीदवारो के संसद मे जाने से समाज और देश मे परिवर्तन लाने वाले सशक्त कानून नही बन पाते। सही जनतंत्र आने के लिये किसी भी गांव मोहल्ला वार्ड सभाा की कोई भी जमीन जंगल पानी केन्द्र सरकार या राज्य सरकारो को यदि लेनी है तो ग्राम सभा वार्ड सभा मोहल्ला सभा की अनुमति के बिना नही ली जायेगी। ऐसे सशक्त कानून बनवाने होंगे। सत्ता जो मंत्रालयों मे केंन्द्रित हुई है। उसका विकेन्द्रीयकरण कर जनता की ग्राम सभा वार्ड सभा मोहल्ला सभा को अधिकार देना जरूरी है। तब सही जनतंत्र आ सकता है।

गांव, वार्ड मोहल्ला के विकास के लिये जो पैसा आता है उसे खर्च करते समय ग्राम सभा, मोहल्ला सभा वार्ड सभा की जनता की अनुमति लेकर ही खर्च किया जाना चाहिये। जो पैसा खर्च हुआ है उसका हिसाब हर दो माह मे जनता को दिया जाना चाहिये। जो अधिकारी हिसाब नही देंगे उनको जनता नौकरी से हटा पायेगी। ऐसे सशक्त कानून बनने से जनतंत्र आयेगा। आज संसद मे बैठे हुए कुछ सांसद संविधान का पालन नही करते है। संविधान कहता है जात पात का भेद ना रहे । गरीब अमीर अमीर का फासला ना बढे। प्रकृति मानवता का शोषण ना हो, दलित आदिवासी घुमंतू मछुआरो पिछडे वर्ग के लोग अल्पसंख्यक इनके बेहतर जीवन के लिये योजनाएं बनाई जाय। आज संसद मे बैठे हुए लोग ही संविधान का पालन नही करते है। ऐसी स्थिति मे जन संसद को अधिकार हो कि जनसंसद संसद को बरखास्त करे। दिल्ली की संसद राज्य की संसद जन संसद ने बनवाई है। इसलिये जन संसद का स्थान राज्य और केन्द्र की संसद से बहुत उचा है। जन संसद सर्वोच्च स्थान पर है।

लेकिन पक्ष और पार्टी से जनसंसद पर जो अतिक्रमण हुआ है । इस कारण जन संसद को दिल्ली की संसद को भंग करने का अधिकार होते हुए भी जन संसद उसका अमल नहीं कर पा रही है। जन शक्ति अपनी शक्ति को ही भूल गई है। देश की पूरी जन संसद अगर संगठित हो जाए तो देश के भ्रष्टाचारी गुंडे, लुटेरे, व्यभिचारी सरकारो को जन संसद हटा सकती है। लेकिन आज जन संसद अपने अधिकारो से अनभिज्ञ होने के कारण संगठित नही हो पा रही है। सत्ता सीन कांग्रेस पक्ष के उपाध्यक्ष होने के कारण क्या आप ऐसे कानून बनवा सकते है कि जन संसद ने संसद के लिये सेवको को चुन कर सेवा करने के लिये भेजा है। वह सेवक संसद मे यदि ठीक से सेवा नही करता पाया जाता है तो ऐसे सेवक को जन संसद वापिस बुला सकती है? पक्ष पार्टी ने अगर गुंडा भ्रष्ट लुटेरा, व्यभिचारी उम्मीदवार को टिकट दिया हो तो उनको नकारने का रिजेक्ट करने का जनता को अधिकार हो । जनता के लिये मत पत्र मे यदि आखरी चिन्ह नकार का हो तो जनता ऐसे भ्रष्ट गुंडा लुटेरे लोागो को संसद मे जाने से रोक सकती है।

संविधान मे पक्ष और पार्टी तंत्र का कही पर भी जिक्र ना होते हुए भी पक्ष और पार्टी तंत्र से जनतंत्र और जनसंसद मजबूत होगी। ऐसा जनता ने भरोसा किया था। लेकिन पक्ष और पाटियां जनतंत्र या जन संसद की मजबूती की चिंता करने के बजाय सिर्फ अपने अपने पक्ष और पार्टी की मजबूती करने मे जुट गई। इस कारण जन तंत्र और जन संसद पर पक्ष और पार्टी तंत्र हावी हो गया । पक्ष पार्टी मजबूत हो गई और जनतंत्र कमजोर हुआ। हम लोगो ने जनतंत्र मजबूत हो जन संसद मजबूत हो इसलिये देश की जनता को शिक्षित करके संगठित करने का प्रयास शुरू किया है। देश भर मे घूम घूम कर हम जनता को जगायेंगे , संगठित करेंगे। जनतंत्र मे जनता के इस देश की मालिक होते हुए भी पार्टी तंत्र के अतिक्रमण के कारण जनता को गुलाम बनाया गया है। और जो जन प्रतिनिधि और अधिकारी जनता के सेवक है वे मालिक बन गये है इन बातो के प्रति जनता मे अब जागृति आ रही है इस बात का हमे विश्वास हो चला है।

महसूस होता है कि जनता के जागृत हो जाने पर जनतंत्र और जनसंसद मजबूत होगी। जनतंत्र और जनसंसद मजबूत होने पर भ्रष्टाचारी गुंडा लुटेरा व्यभिचारी सरकारो को जनता अपने मतो के आधार पर उखाड फेक देगी, और चरित्रशील उम्मीदवारो को संसद मे भेजेगी, और केवल चरित्रशील उम्मीदवार अगर संसद मे गये तो संसद अच्छे अच्छे सशक्त कानून बना पायेगी और सही लोकतंत्र, लोकशाही जनतंत्र देश मे आयेगा। कई कानूनो मे सुधार होगा। अंगेजो के बने कुछ निकम्मे कानूनो को खत्म कर दिया जायेगा। और जनतंत्र के अनुरूप जन संसद कानून बनाएगी। जनता ने जनता के लिये जन सहभाग से चलाया जा रहा जनतंत्र देश मे आयेगा।

इस काम के लिये कुछ समय लग सकता है। लोग जितने जाग जायेगे । संगठित हो जाएंगे। उतना जल्दी देश मे जनतंत्र आने मे सफलता मिलेगी। इन सभी बातो मे एक पक्ष के उपाध्यक्ष होने के नाते और सत्ता मे होने के नाते आप क्या योगदान कर सकते है यह जानने की इच्छा रखता हूँ।

सुझाव – आपने समस्या की पहचान तो ठीक की किन्तु समाधान मे उलट गये। एक ओर तो आप सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की वकालत करते है तो दूसरी ओर आप अच्छे लोगो को संसद मे भेजकर उनके माध्यम से अच्छी सरकार चलाने की कल्पना करते है। अच्छे लोग अच्छी सरकार चलाने का वादा करके संसद मे जायेगे तो वे वर्तमान समस्याओ के समाधान का प्रयास शुरू करेंगे अर्थात देश मे सुराज्य लायेगे। स्वराज्य नहीं। आप घोषित रूप से एक चरित्रवान ब्यक्ति होने से चरित्र को बहुत महत्वदेते है। यह आप लोगो की बीमारी है। संसद मे यदि चरित्रहीन भी जाकर राइट टू रिकाल ग्राम सभा सशक्तिकरण परिवार स्वायत्त दे दे तो हमारे लिये चाहे वह चरित्रवान हो या चरित्रहीन उससे फर्क नही पडता। यदि चरित्रवान जाकर भी हमारी गुलामी इसी तरह रही तो कौई फायदा नही। राहुल गांधी ने ग्राम सभा सशक्तिकरण की बात कही है। आप चरित्र की बात कहकर उसे गुमराह न करे तो अच्छा होगा। आपको समझना चाहिये कि देश की जनता आपके चरित्र की अपेक्षा आपके विचारो से ज्यादा प्रभावित हुई। अच्छा हो कि आप अच्छे कानून बनवाने की अपेक्षा सिर्फ अनावश्यक कानून हटवाने पर ज्यादा जोर दे। अच्छा हो कि आप राइट टू रिकाल राइट टू रिजेक्ट ग्राम सभा सशक्तिकरण परिवार सशक्तिकरण जैसे मुद्दो के साथ अच्छे कानून दलित आदिवासी किसान की समस्याएं जन जंगल जमीन की समस्याएं, जैसी बातो को जोडकर घालमेल न करे। यदि केन्द्र सरकार इन बातो से किनारे हो जाए तो गांव परिवार समाज इन

मामलो को ज्यादा अच्छी तरह निपटा लेगा। अच्छा हो कि आप न समाज मे भ्रम पैदा करे न स्वयं भ्रमित हो। बडी मुश्किल से जय प्रकाश के बाद आप जैसा व्यक्तित्व आगे आया है। आपसे बहुत उम्मीद है इसलिये हम आपको सुझाव दे रहे है राहुल गांधी को नही।

11 श्री एम0 एस0 सिंगला, अजमेर, राजस्थान

विचार :– भारत सरकार के आयकर विभाग ने लागत स्फीति सारणी जारी की है। यह सूची वर्ष 1981 से अद्यतन 2013 तक की है। 1981 –82 को 100 आधार मानकर 2012 –13 को 785 अंक रखा गया है। उसका तात्पर्य यह बताया गया है कि जो उपभोक्ता वस्तु 1981 मे एक सौ रूपया की थी उसका मूल्य आज की तारीख मे सात सौ पिच्यासी रूपया मान कर उपभोक्ता को कर गणना मे लगा दिया जायगा। इस व्यवस्था को लेकर कुछ प्रश्न उत्पन्न होते है। यथा–
1 इसका नामकरण सही नही लगता । स्फीति पत्र मुद्रा होती है मानक मुद्रा नही। भारत सरकार ने जब से रूपए को स्वर्ण भंडार की बजाए अमरीकी डालर का आधार दिया है, पत्रमुद्रा की अनवरत मुद्रा स्फीति हो रही है। गौरतलब है कि किसी वस्तु को बनाने या उसका उत्पादन करने मे जो खर्च होता है वह उसकी लागत कही जाती है और लागत की स्फीति नही हो सकती परन्तु जिस वस्तु की लागत 1981 मे सौ रूपये थी उसकी लागत आयकर विभाग ने 2013 मे 785 रूपये तय की है। यह आयकर मे लाभ देने के दृष्टिकोण से किया गया है। लागत शब्द की बजाय मूल्य शब्द का प्रयोग संगत बनता है।
2लागत स्फीति सारणी जारी करने का मतलब यह हुआ कि भारत सरकार बढती मुद्रा स्फीति को उसके नियंत्रण से बाहर होने को मानती है। यानी भारत सरकार मुद्रा स्फीति के लिये जिम्मेदार है। मुद्रा स्फीति के न रूक पाने से सरकार की क्षमता व मंशा दोनो पर प्रश्न चिन्ह लगते है । इसी क्रम मे यह भी विचारणीय है कि क्या यह सब विदेशी बाजार को आमंत्रित करने का परिणाम नहीं है? प्रश्न यह है कि विदेशी मुद्रा अमरीकी डालर को रूपये की पत्रमुद्रा का आधार क्यो बनाया गया? पाउंड स्टर्लिन को क्यो नही बनाया गया। किसी और सशक्त मुद्रा को क्यो नही बनाया गया। इत्यादि। इस प्रकार मूल प्रश्न यह उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यो पडी? जब देश की मुद्रा का आधार कोई विदेशी मुद्रा होगी तो देश को स्वतंत्र कहना एक छलावा से अधिक कुछ नही हो सकता।
3 मुद्रा स्फीति की इस तालिका का आधार क्या है? यह कैसे समझा जाए कि स्फीति की जो सारणी दी गई है वही सही या उचित है? इस शंका का कारण यह है कि किसी वस्तु के वर्ष 1981 के मूल्य की आज के मूल्य 785 रू0 से समानता ठीक नही बैठती। किसी व्यक्ति का मासिक व्यय 1981 मे एक सौ रू0 हो तो आज उसका मासिक व्यय दस पंद्रह गुना यानी हजार पंद्रह सौ रू0 हो चुका है। इसी प्रकार एक सरकारी कर्मचारी को भी 1981 मे जो वेतन मिलता था , उसे आज बीसियों तीसियो गुना वेतन मिल रहा है। इतना ही नही छठा वेतन आयोग लागु होने के बाद कर्मचारियों को लगभग 15 प्रतिशत मंहगाई भत्ते हर साल मिलता है। मंहगाई भत्ते की यह व्यवस्था भी इस अंक को झुठलाती है। अतः' क्या आयकर विभाग उक्त सूची देकर उपभोक्ता के साथ अन्याय नही कर रहा?

इस तरह केन्द्र सरकार द्वारा जनता पर दोहरी मार की जिम्मेदारी बनती है एक तो मुद्रा स्फीति निंयत्रित न कर पाना, दूसरा मुद्रा स्फीति की संगत व सही सारणी न दे पाना । अतः सबसे अहम बात यही है कि भारतीय मुद्रास्फीति की इस तीव्र गति को रोका जाना चाहिये। यह अति आवश्यक है।
उत्तर :– भारत सरकार ने सन इक्यासी की तुलना में आज के भारतीय रूपये की आंतरिक क्रयशक्ति की तुलना करके उसे सात सौ पचासी के बराबर बताया है न कि डालर या अन्य किसी आधार पर। मैं नहीं समझा कि इस तुलना में नामकरण की विवेचना, डालर स्टर्लिंग, सरकार के आयकर विभाग की लाभ हानि, मंहगाई भत्ता आदि असम्बद्ध बातें कहां से घुस गई। भारत में पहली बार किसी सरकारी एजेन्सी ने इक्यासी को आधार बनाकर आजके रूपये की तुलना की है। यदि यह तुलना सन 47 को आधार बनाकर कर दी जाती तो मंहगाई का हल्ला ही खत्म हो जाता। सैंतालीस से आजतक के रूपये की क्रयशक्ति लगभग सत्तर गुनी घटी है। सैंतालीस से इक्यासी तक साढ़े नौ गुनी गिरी थी और उसके बाद सात सौ पचासी के बराबर। यदि डालर से तुलना करें तो स्वतंत्रता के बाद रूपये को भी सत्तर रूपया प्रति डालर होना था जो अब पचपन के पास होने का मतलब है कि रूपया डालर की तुलना में मजबूत हुआ है।

कोई भी राजनेता या अर्थशास्त्री कभी नहीं चाहता कि रूपये के ये तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित हों क्योंकि इनके प्रकाशित होने के बाद मंहगाई शब्द की ही पोल खुल जायेगी। इससे डालर के मुकाबले रूपया का मूल्य गिर रहा है ऐसा झूठा प्रचार भी खत्म हो जायेगा। बार बार लम्बा लम्बा बजट बनाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। समाज में अनावश्यक फैलता भ्रम भी नहीं रहेगा। सरकार ने बहुत हिम्मत करके यह शुरूआत की है। मेरी साधारण समझ में तो यही आया किन्तु इसमें कोई विशेष बात होगी जो मैं नहीं समझा तो आपके पत्र से स्पष्ट हो सकेगी।